

प्रारूप - 2

(7)

[नियम 8-क का उप-नियम (4)]
कार्यालय जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
जयपुर, राजस्थान

संख्या 06

अध्यक्ष/प्रबंधक,
प्रबंध समिति,

दिनांक: 6/10/12

आठवीं सदावर्ती समिति, जयपुर

विषय:- नियम 8-क के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।


महोदय/महोदया,

आपके आवेदन दिनांक फरवरी 2012 और इस संबंध में विद्यालय के साथ किये गये एश्चात्वर्ती पत्र व्यवहार/निरीक्षण के संदर्भ में, मैं विद्यालय का नाम और पता)
गान्धी विहार विद्यालय, डी-एल०५, मालवीय नगर, जयपुर को १.५.२०१२ से ३१.३.२०१५ तक तीन वर्ष की कालावधि के लिए कक्षा ८वीं प्राथमिक से आठवीं तक के लिए अंतरिम मान्यता मंजूर करता हूँ।

उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यादीन होगी-

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा- 8 से आगे मान्यता/सम्बद्धता की कोई बाध्यता अन्तर्निहित नहीं होगी।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा - 1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस पड़ोस के कमजोर वर्ग और अभाव ग्रस्त समूह से संबंधित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा- 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जाएगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति फीस संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी छंटाई प्रक्रिया का पात्र नहीं बनायेगा।
6. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इंकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि-
 - (i) विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालका को विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा;
 - (ii) कोई बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा;
 - (iii) किसी बालक से उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा;


PRINCIPAL
GYAN VIHAR SCHOOL
D-Block, Malviya Nagar, Jaipur-17


Auditor

DIRECTOR
GYAN VIHAR SCHOOL
D-Block, Malviya Nagar, JAIPUR-17
Sahitya Sadawari Samiti

10/10/12

- (i) प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को संज्ञान निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा - अधिकथित प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (ii) 2009 के अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नियोग्यता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को संभालते किया जाये।
- (iii) अध्यापक, 2009 के अधिनियम को धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन अधिकथित न्यूनतम अहंताओं से ज्ञान दर्शी किये जाते हैं।
परन्तु वर्तमान अवस्था में 2009 के अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अहंताएँ नहीं रखते हैं वे 2003 के अधिनियम की धारा 23 के परन्तुके के उपबंधों के अनुसार, 5 वर्ष की कालावधि ने भीतर ऐसो न्यूनतम अहंताएँ अस्तित्व करेंगे।
- (iv) अध्यापक 2009 के अधिनियम को धारा 24 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके वर्तोंयों का निर्माण करते हैं; और
- (viii) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन कियाकरताएँ में नहीं लगाएँगे।
- 7 विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यविवरण का अनुसरण करें:
- विद्यालय 2009 के अधिनियम की धारा 19 में गशा विविध भाज और भानकों का अनुसरण करेंगे अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई सुविधाएँ नेम्नानुसार हैं।
- विद्यालय परिसर का क्षेत्र
कुल 1.5 एकड़िक्ट क्षेत्र
खेल-क्षेत्र के मैदान का क्षेत्र
कक्षा 6 कमरों की सख्त्या
प्रधान 1.5 एकड़िक्ट एवं कारोजरा एवं भड़ाव करने
लड़कों और लड़कियों के लिए पृष्ठक-पृष्ठक शोभाताय
पीने वा पानी की सुविधा
मिड 1. मोल पकाने के लिए रसोइ
अदरें नुक्त पहुँच
अध्यापक विज्ञाता सामग्री/खेल-कर्त उपस्कर/पुस्तकालय की उपलब्धता।
- विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएँ।

- (i) विद्यालय भवन या अन्य सरचनाएँ या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिये जायेंगे।
- विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21).
राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है।
 - विद्यालय किसी व्यक्ति व्यक्तियों के समूह या समाज या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।
 - किसी चार्टर्ड एकाउंटेट द्वारा लेखों को संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण दियाजायेगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति.जिला ग्रामीण शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्तर्दि जारी जाएगी।


PRINCIPAL
GYAN VIHAR SCHOOL
D-Block, Malviya Nagar, Jaipur - 302017


DIRECTOR
GYAN VIHAR SCHOOL
D-Block, Malviya Nagar, Jaipur - 302017
Sahitya Sadawart Samiti
Sahitya Sadawart Samiti
Anupam De


आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड सुना है। कृपया इसे नोट किया जाए और इस कार्यालय के साथ पढ़ व्यवहार के लिए इसे उत्कथित किया जाए।


15. विद्यालय नसी रिपोर्ट और सूचना देना जिनकी भिन्नेशक, प्रारम्भिक शिक्षा / जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर आंदोलन की जा ओर राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्त है। लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा जारी किये जाएं।
16. लोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नदीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।
17. अन्य शर्त संलग्न परिशिष्ट के अनुसार हैं।
18. नोटकार तक रिपोर्ट:-

1. संस्था आरटीई के सभी मापदण्ड पूर्ण करनी है अतः संस्था को आरटीई मान्यता प्रदान करने की अभिशंखा की जाती है।
2. संस्था आरटीई के तहत भौतिक संसाधन को पूर्ण नहीं करती है अतः संस्था को मार्च 2013 तक भौतिक संसाधन जुटाने की शर्त पर आरटीई मान्यता प्रदान करने की अभिशंखा की जाती है।
3. संस्था में आरटीई मापदण्डानुसार प्रशिक्षित शिक्षक नहीं हैं अतः संस्था को मार्च 2015 तक प्रशिक्षित शिक्षकों की पूर्ति की शर्त पर आरटीई मान्यता प्रदान करने की अभिशंखा की जाती है।

अ.प्र. १८८५
अति. जिला शिक्षा अधिकारी:
प्रारम्भिक शिक्षा भाग
जयपुर

अ.प्र. १८८५
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर


PRINCIPAL
GYAN VIHAR SCHOOL
D-Block, Malviya Nagar, Jaipur-17


DIRECTOR
GYAN VIHAR SCHOOL
D-Block, Malviya Nagar, JAIPUR-17

